

श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह ग्राम-टाढ़ा मजरे परगना-दरियाबाद तह0-सिरौली गौसपुर जनपद-बाराबंकी द्वारा ग्राम-उधिया, गाटा संख्या-498 झ, खण्ड-3, तहसील-रामनगर, जनपद-बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 11.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से साधारण बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर दिनांक 27.10.2018 को सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त।

श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह ग्राम-टाढ़ा मजरे परगना-दरियाबाद तह0-सिरौली गौसपुर जनपद-बाराबंकी द्वारा ग्राम-उधिया, गाटा संख्या-498 झ, खण्ड-3, तहसील-रामनगर, जनपद-बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 11.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से 1,98,000 घनमी0 प्रतिवर्ष साधारण बालू खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं टाइम्स आफ इण्डिया (अंग्रेजी में) दिनांक 25.09.2018 को आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे तथा लोक-सुनवाई दिनांक 27.10.2018 को किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि विज्ञापित में उल्लिखित कार्यालयों (जिलाधिकारी कार्यालय, बाराबंकी, मुख्यालय उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, कार्यालय जिला पंचायत, जिला उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र) में प्राप्त नहीं हुए हैं। श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह द्वारा उक्त स्थल पर घाघरा नदी से बालू खनन सम्बन्धी प्रेषित आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर उनके अनुमति से प्रारम्भ हुई। लोक सुनवाई की कार्यवाही का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम क्षेत्रीय कार्यालय उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, के प्रतिनिधि डॉ0 राम करन (क्षेत्रीय अधिकारी) ने उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं आम जनता का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0-1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक-सुनवाई की प्रक्रिया अपनायी जानी आवश्यक है। राज्य बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु आवेदक के प्रतिनिधि के रूप में श्री विकास गुप्ता परामर्श दाता, मैसर्स ग्लोबल इनवायरमेण्ट एण्ड माइनिंग सर्विसेज, विनीत खण्ड-6 गोमती नगर, लखनऊ को आमंत्रित किया गया। आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के दौरान निम्नवत् बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया:-

1. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि प्रस्ताव के अनुसार श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह ग्राम-टाढ़ा मजरे परगना-दरियाबाद तह0-सिरौली गौसपुर जनपद-बाराबंकी द्वारा ग्राम-उधिया, गाटा संख्या-498 झ, खण्ड-3, तहसील-रामनगर, जनपद-बाराबंकी (कुल क्षेत्रफल 11.0 हेक्टेयर) में घाघरा नदी से 1,98,000 घनमी0 प्रतिवर्ष बालू खनन बालू का खनन किया जाना है। बालू खनन पट्टे के लीज का क्षेत्रफल अक्षांश $27^{\circ}18'8.69''N$ एवं देशान्तर $81^{\circ}24'40.22''E$ के मध्य स्थित है।
2. घाघरा नदी से बालू खनन अधिकतम 3.0 मीटर अथवा भूगर्भ जल स्तर की गहराई तक श्रमिकों/अर्द्ध मशीनीकृत (बार स्क्रपर और लोडर के उपयोग द्वारा) किया जायेगा। खनन का कार्य केवल दिन में ही किया जायेगा तथा वर्षा काल में खनन का कार्य पूरी तरह से बन्द रहेगा।
3. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन में जल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु खनन एवं उसके समीपस्थ क्षेत्र में धूल के कण को उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर जल का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या लगभग 20 होगी, जिसके लिए शुद्ध जल की आपूर्ति किया जायेगा। खनन के आस-पास के क्षेत्र में धूल के कण को रोकने हेतु नदी के जल से नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों हेतु अस्थायी शौचालय की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की जायेगी।
4. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस-पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि, अवैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से जगह-जगह गड़ढे हो जाते हैं तथा जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। भू-जल स्तर में भी गिरावट होती है तथा बालू का आवश्यकता से अधिक दोहन होता है।



- आवेदक प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन गतिविधियों जैसे—लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए नियमित रूप से जमीन को नम करने हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन क्षेत्र तक सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायेगी। बालू खनन कार्य बालू श्रमिकों द्वारा नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर त्रिज्यक दूरी के अन्दर कोई भी संरक्षित वन क्षेत्र/बर्ड सेन्चुरी आदि स्थित नहीं है।
6. परियोजना स्थल पर ध्वनि प्रदूषण सम्बन्धी समस्या को नियंत्रित करने हेतु अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का उपयोग एवं समुचित रख-रखाव किया जायेगा। वाहनों द्वारा हार्न का प्रयोग कम से कम किया जायेगा। पुराने और खराब हो चुके वाहनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा रात में बालू के ढुलाई का कार्य नहीं किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
 7. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 333/पर्या/एस.ई.ए.सी./4330/2017, दिनांक 20.08.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
 8. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।

तत्पश्चात् अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), बाराबंकी द्वारा बताया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 25.0 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण लोकसुनवाई प्रक्रिया की जानी होती है जिसमें उक्त परियोजना के खण्ड-1 का कुल क्षेत्रफल 12.0 हेक्टेयर है। उनके द्वारा प्रस्तावक को यह सुझाव दिया गया कि पट्टाधारको द्वारा वाहनों का आवागमन रात्री में न किया जाये वर्षाकाल में साधारण बालू खनन कार्य बन्द रखा जाये तथा गाँव के भीतर जहाँ से वाहनों का आवागमन होना है वहाँ जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था की जाये, वाहनों को एक साथ न खड़ा किया जाये तथा किसी भी दशा में पर्यावरण अधिनियमों का उल्लंघन न होने पाये यदि उपस्थित ग्रामीणों के अन्तःकरण में कोई शंका हो तो उसे प्रकट करे जिससे उसका निराकरण किया जा सके। आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले जाने के पश्चात् लोक सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जन समुदाय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया परन्तु लोक सुनवाई में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बाराबंकी क्षेत्रीय अधिकारी एवं सहायक पर्यावरण अभियंता क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा आस-पास के विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के उपर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं तथा उसके निराकरण हेतु आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये उपायों का विवरण निम्नवत है :-

- प्रश्न-1 श्री संदीप कुमार गुप्ता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बाराबंकी द्वारा प्रश्न किया गया कि यदि तीनों पट्टा धारको द्वारा एक साथ बालू ढुलाई वाहनों का प्रयोग किया जायेगा तो सड़के क्षतिग्रस्त हो सकती है। क्या ग्रामीण सड़क की मरम्मत का कार्य प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा ? हार्न का प्रयोग यथा सम्भव न किया जाये जिससे ध्वनि प्रदूषण न हो।
- उत्तर—आवेदक के प्रतिनिधि श्री विकास गुप्ता द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्रामीणों सड़क क्षतिग्रस्त होने की दशा में मरम्मत का कार्य प्रस्तावकों द्वारा किया जायेगा, तथा वाहनों में प्रेसर हार्न आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- प्रश्न-2 डा0 राम करन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने यह सुझाव दिया कि बालू खनन में प्रयुक्त वाहनों को ढककर रखा जाये। बालू ढुलाई से पूर्व बालू को जल से गीला किया जाये स्थायी जल छिड़काव हेतु टैंकर की व्यवस्था की जाये।
- उत्तर— लोक सुनवाई में उपस्थित प्रस्तावको द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाये गये सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्थ किया गया।
- प्रश्न-3 श्री चन्द्रेश कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा प्रस्तावक से यह आपेक्षा कि गयी, कि प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार वृक्षारोपण किया जाये। वाहनों का पी0यू0सी0 सर्टिफिकेशन, धूल कण के रोकथाम हेतु व्यवस्था जल छिड़काव किया जाये।
- उत्तर— लोक सुनवाई में उपस्थित प्रस्तावको द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा सुझाये गये सभी बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्थ किया गया।


लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित आम जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये, लोक सुनवाई हेतु गठित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना के संचालन से पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक क्रियान्वयन की शर्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर विचार करने की शर्त के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु निर्णय लिये जाने की संस्तुति की जाती है:-


1. परियोजना स्थल/नदी के किनारे किसी भी प्रकार के श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।


- नदी के किनारे खाना बनाने व लकड़ी जलाने जैसी गतिविधियां नहीं की जायेंगी।
3. खनन से पूर्व श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, जिससे उन्हें काम करने के तरीकों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।
 4. किसी भी आपात कालीन स्थिति में श्रमिकों को चोट पहुँचने की स्थिति से निपटने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के रूप में फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था परियोजना स्थल पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्रत्येक तीन माह में श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जायेगा तथा आसपास स्थित स्कूलों में वृक्षारोपण कार्य कराया जायेगा।
 5. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने, झाड़ियों और जड़ी-बूटी आदि को जड़ सहित उखाड़ने नहीं दिया जायेगा।
 6. बालू को ले जाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के संचालन से जनित ध्वनि की सीमा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।
 7. बालू के लोडिंग में प्रयुक्त वाहनो को ढक कर ले जाया जाये। पी0यू0सी0 सर्टीफाइड वाहनो का ही प्रयोग किया जाये। पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के वाहनो का प्रयोग न किया जाये।
 8. नदी के किनारे भू-क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका विकसित की जायेगी।
 9. समय-समय पर अनुश्रवण अनुसूची के अनुसार नदी की जल गुणता की जांच, परिवेशीय ध्वनि स्तर एवं परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अनुमोदित प्रयोगशाला से कराया जायेगा तथा पारिस्थितिकीय तन्त्र का अपघटन न हो, इसके लिए समुचित उपाय किये जाये। पर्यावरण की निगरानी हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन दल का गठन आवेदक द्वारा किया जायेगा, जो पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा तथा आवश्यकतानुसार बाहरी पर्यावरण एजेन्सियों से भी सलाह लिया जायेगा।
 10. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण उ0प्र0(स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अधारिटी, उ0 प्र0) के पत्र सं0 पत्र सं0 333/पर्या/एस.ई.ए.सी./4330/2017, दिनांक 20.08.2018 द्वारा उक्त प्रस्तावित स्थल पर बालू खनन हेतु जारी टर्म्स आफ रिफरेन्सेज में आरोपित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. आवेदक द्वारा खनन के समय खान अधिनियम, 1952, खान एवं खनिज(विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957, माइनर मिनरल कन्सेशन नियम, 1963 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अनुपालन किया जायेगा।

अन्त में के क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ डा0 राम करन द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) बाराबंकी, एवं उपस्थित जन समुदाये एवं अतिथियों का लोक सुनवायी को सुचारू रूप से सम्पादित करने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रक्रिया समाप्त करने की घोषणा की गयी।

1. लोक सुनवायी के समय उपस्थित नागरिकों/पदाधिकारियों/पेनल सदस्यों/आमन्त्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक -01 के रूप में संलग्न है।
2. लोक सुनवायी के वीडियो की सीडी संलग्नक -02 के रूप में संलग्न है।
3. दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कतरन संलग्नक -03 के रूप में संलग्न है।


(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ


(संदीप कुमार गुप्ता)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बाराबंकी


5.11.18
जिलाधिकारी
बाराबंकी

मैसर्स श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह जनपद-बाराबंकी द्वारा गाटा सं०-498-झ, खण्ड-03 (11 हेक्टेयर) ग्राम-उधिया, तहसील-रामनगर, जिला-बाराबंकी में साधारण बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :

स्थान - ग्राम-उधिया, तहसील-रामनगर,
जिला- बाराबंकी

दिनांक- 27.10.2018

समय : 11.00 पूर्वान्ह

क्र० सं०	नाम व पद नाम	विभाग का नाम/पता	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	संदीप कुमार गुप्ता अपा जिलाधिकारी (विन सख्तवाली)	कार्यालय जिलाधिकारी	9454417611	
2	डा. रामकरण, क्षेत्रीय अधिकारी अनाज विभाग, कोड अनूपमध	क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	7839891854 9838200356	
3	चन्द्रेग कुमार सहा. पर्व. अभियन्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नफा 3	7839891814	
4	श्रीमती शोभापतेल, वैदा 10 सख्तवाली	उत्प्रेषण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ	7035091845	
5	शंकर शर्मा, अनाज विभाग	" "	7834891836	
6	आशीष कुमार शर्मा	रामनगर	9640919648	
7	सुवर्णा शर्मा		78760260000	
8	श्री अहमद	लखनऊ	8005900589	
9	श्री शर्मा	लखनऊ	972170	9539
10	श्रीमती अशोक कुमारी	लखनऊ	9124637404	
11	अशोक कुमारी	कोठवाल	7308279149	
12	श्री अशोक कुमार	JAMSHEDPUR	8092700077	
13	श्री अशोक कुमार	बाराबंकी	9859162421	
14	श्री अशोक कुमार	लखनऊ	9125192933	
15	श्री अशोक कुमार	लखनऊ	9936910104	
16	श्री अशोक कुमार	रामनगर	941511173	

	रामस कुमार	करावकी	R	9415880988
17	आदेश कर्मा	करावकी	Arsh	9415463835
18	अनज कुमार	करावकी	Arsh	9984180717
19	अशोक कुमार	कोठवल	R	738827914
20	अखिलेश कुमार	कंदला	अखिलेश कुमार	9451821122
21	दानेश कुमार	देशीलकिडा	दानेश कुमार	6392085494
22	बिमल कुमार	जपरामपुर	बिमल कुमार	8707629909
23	रामनाथ	ज्यापूर	Rn	9127972054
24	सुकेस कुमार	ज्यापूर	Rn	9007628145
25	अनिल कुमार	ज्यापूर	Arsh	8286698866
26	अनिल कुमार	ज्यापूर	Arsh	9450742262
27	Sanjay Mishra	Killeshwar	Sanjay	8603675014
28	अनिल कुमार	ज्यापूर	Arsh	8533653836
29	मुखमोदी, पद्मेश्वर वि. लक्ष्मी से प्रतिनिधि	इरिच-रुपुडा	इरिच-रुपुडा	8814034833
30	Dr. Santosh Kumar	Global Environment & Mining Services	San	9838851005
31	Shamshad Ahmad	Paramarsh (Serving Environment & development)	Sham	9696786222
32	श्रीकांत कुमार	जालपुर	श्रीकांत	788095766
33	मुन्ना	जालपुर	श्रीकांत	7880961162
34	श्रीकांत	जालपुर	श्रीकांत	9918746212
35	श्रीकांत	जालपुर	श्रीकांत	9196088376
36	सुनील कुमार सतविषावा	सतविषावा	सुनील	9695466200
37	देवेश कुमार	उधिया	Devesh	8924884012
38	इरशाद	उधिया	इरशाद	962147673

	अश्वि कुमार	लालपुर	9648225710	अश्वि कुमार
40	सिंह कुमल मिश्रा	पारोपुर	9415864021	- Samp
41	राजेश कुमार	लालपुर	9839194024	म
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				